

12/8/24 पत्रावली पेश हुई।


अपीलाट अधिकता उपरिमत।

रेस्पोडेन्स संख्या 11, से 117 के अधिकता की

सव्यनारामा विद्द पुरोहित द्वारा कालनामा पेश
किया गया। रेस्पोडेन्स अधिकता ने दौराने
बहस कहा कि पत्रावली में मौजूद कालनामा
पंजीकृत नहीं हैं, अतः अपील को खारिज किया
जावे।

चूंकि अपीलाट अधिकता की बहस पूर्व
में ही से यूजिडिय और पत्रावली आज निर्णय
हेतु निगत है।

अतः अपील अंर्गत धारा 75 LR Act
तथा धारा 5 भारतीय सिपाय अधिनियम में
निर्णय सुब्जे-ग्रामालय में सुनाया गया।
निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फाइल सुगार होकर
नकल बफर है।



उपरखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)